


17/6
25

पत्रावली पेश। पार्टी व वकील
पार्टी को बार-बार आवाज
लगाने गई। बार-बार आवाज
लगाने के पश्चात भी पार्टी व
वकील पार्टी न्यायालय में हाजिर
नहीं आये। अतः पार्टी का पत्र
पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI
अदम हाजरी अदम पार्टी में
खारीज किया जाता है। पत्रावली
फैसल नुमार होकर नम्बर
से कम होकर दाखिल दफतर हो।



उपग्रन्थ अधिकारी
दंताराभग (सीकर)